कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR-GOVT OF INDIA)
भविष्य निधि भवन, क्षेत्रीय कार्यालय
'BHAVISHYA NIDHI BHAVAN, REGIONAL OFFICE
वी.एम.सी.वार्ड कार्यालय के पास, अकोटा स्टेडियम रोड, वड़ोदरा–390020
B/H, V.M.C.WARD OFFICE, AKOTA STADIUM ROAD, AKOTA, VADODARA -390 020.
ई.मेल/Email: ro.vadodara@epfindia.gov.in website : www.epfovadodara.com

सं/गुज/क्षेभनिआ/वडो/प्रशा/(निसू)/33 दिनांक 13/05/2009

निविदा सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, अकोटा, वडोदरा के लिए प्रारंभिक तौर पर ठेके के आधार (कॉन्ट्रेक्ट बेसिस) पर लगभग बीस (20) आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक/डाटा इंट्री ऑपरेटर (डी.ई.ओ.) की पुर्ति हेतु संलग्न शर्तों के अधीन प्रतिष्ठित एजेंसियों से मोहरबंद दरें आमंत्रित हैं।

निर्धारित शर्तें व अन्य जानकारियां वेब साईटः–ूण्मचविअंकवकंतंणबवउ पर देखी जा सकती है या कार्यालय से इसकी प्रति निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक एजेंसियां मुहरबंद निविदा *"डी.ई.ओ के लिए दर (कोटेशन)"* स्पष्ट लिखते हुए श्री ए.एम.भोसले, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–।। (प्रशासन) के नाम से उक्त पते पर दिनांक 20/05/2009 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

(ए.एम.भोसले)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–।। (प्रशा.),
क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा

आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक/डाटा इंट्री ऑपरेटर (डी.ई.ओ.) की पुर्ति हेतु निविदा के नियम एवं शर्तेः—

’ विशेष शर्तें :—

1. आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक/डाटा इंट्री ऑपरेटर (डी.ई.ओ.) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं वो प्रति घंटा कम से कम 8000 (आठ हजार) कुंजी—दवाब (की—डीप्रेशन) की क्षमता रखते हों।
2. एजेंसी को आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक/डाटा इंट्री ऑपरेटर (डी.ई.ओ.) के द्वारा किए गए कार्यों की देख—रेख करने एवं दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक पर्यवेक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

1. एजेंसी को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आवृत्त होना अनिवार्य है एवं जो सांविधिक विनियमों एवं श्रम कानूनों का भी अनुपालन करती हों।

2. दरों (कोटेशन्स) में प्रति आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक/डाटा इंट्री ऑपरेटर (डी.ई.ओ.) के हिसाब से दैनिक दरों के साथ विस्तृत ब्यौरा जैसे— सांविधिक भुगतान, सेवा प्रभार/कर एवं सभी अन्य नियम व शर्तें समाहित होनी चाहिए।

3. एजेंसी को आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक/डाटा इंट्री ऑपरेटर (डी.ई.ओ.) के पक्ष में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि डी.ई.ओ. ने किसी अन्य संगठन/स्थापना में आँकड़ा प्रविष्टि का कार्य किया हो।

’ सामान्य शर्तें :—

1. टेंडर स्वीकृत होने पर अनुबंधकर्ता एजेंसी को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, वडोदरा के पक्ष में रू 5000/—का डिमांड ड्राफ़्ट अमानत राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त रकम एजेंसी के अनुबंध रद्द होने या कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी व उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2. सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों को नियमानुसार पी. एफ. एवं ई.एस.आई की कटौती करनी होगी।

3. सेवा प्रदान करने के लिए कार्यालय और एजेंसी के मध्य अनुंबंध किया जाएगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा कार्यालय और डाटा इन्ट्री कार्य हेतु एंजेंसी के बीच अनुबंध को एक माह की सूचना देकर कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

4. प्रत्येक माह की 05 तारीख तक एजेंसी के अधीन कार्यरत् कर्मचारियों को एजेंसी भुगतान करेगी एवं उसका बिल यथाशीघ्र कार्यालय को प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा।

5. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा के अधीन एजेंसी के कर्मचारियों की लापरवाही से कार्यालय के समस्त प्रकार के चल/अचल संपत्ति के नुकसान होने पर एजेंसी को उसका वहन करना होगा। फिर भी एजेंसी को यह सलाह दी जाती है कि इस प्रकार की धटना/दुर्घटना को व्यक्तिगत रूप से लेते हुए सचेत रहें।

6. एजेंसी के अधीन कार्यरत् कर्मचारी कार्यालयीन कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष हो। किसी भी प्रकार की हानि होने पर संबंधित कर्मचारी को तत्काल सेवा से हटाया जा सकेगा एवं क्षतिपूर्ति संबंधित एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

7. सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी को पंजीकृत होना चाहिए तथा डाटा इन्ट्री कार्य के क्षेत्र में व्यापक अनुभव होना चाहिए।

8. मान्यता प्राप्त एजेंसी अपने अधीन कार्यरत् कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के विवाद, हिंसा अथवा हड़ताल पर जाने से रोकेगी एवं इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

9. कार्यालय में स्थित चल/अचल संपत्ति की सुरक्षा एवं गरिमा बनाए रखने के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी। एजेंसी के द्वारा नियुक्त कर्मचारी किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्य में लिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

10. एजेंसी के द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों के चरित्र तथा आचरण हेतु संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगा।

11. शासकीय परिपत्र के अनुसार संस्थान द्वारा न्यूनतम वेतन प्रदान करना होगा। एजेंसी को सरकारी दर पर न्यूनतम वेतन पर भुगतान समय—समय पर करना होगा। इस संदर्भ में न्यूनतम वेतन, पी.एफ.,ई.एस.आई. का विवरण, एजेंसी का चार्ज अलग—अलग दर्शाते हुए निविदा भरें।

12. यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि किसी प्रकार की चूक के लिए कार्यालय संस्थान के बिल में सांविधिक बकाया राशि की कटौती कर सके।

13. संस्थान की यह जिम्मेदारी है कि वह श्रम कानूनों का पालन करे।

14. अनुबंध की स्टाम्प ड्यूटी का वहन संस्थान को स्वयं करना होगा।

15. एजेंसी के द्वारा सेवा शुल्क का विवरण तथा अन्य देनदारियों का विवरण पृथक रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए।

16. एजेंसी के किसी भी कार्यरत् कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि कार्यालय, वडोदरा में किसी भी प्रकार से सेवा में स्थायी होने का दावा नहीं कर सकेगा।